

राजस्थान सरकार  
राजस्व § ग्रुप-6 § विभाग

क्रमांक:- प. 6 § 18 § राज-6/99/41

जयपुर, दिनांक:- 1-11-2000

:- अधिसूचना :-

=====

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 § 1956 का अधिनियम संख्या-15 § की धारा 260 की उप-धारा § 18 § के खण्ड § 2 § द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा अधिनियम की धारा 290-ख, जैसे कि राजस्थान विधियां § अधिनियम, 1999 § 1999 का अधिनियम संख्या-21 § के द्वारा अन्तःस्थापित की गई है, के प्रयोजनार्थ राज्य की समस्त नगरपालिकाओं में पदस्थापित सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदारों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर अधिकारों का पर्यवसान § Extension § एवं भूमि पुनर्गठना करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करती है ।

राज्यपाल के आदेश से,

§ शिव कुमार शर्मा §  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राजस्व मंत्री/मुख्य सचिव/राजस्व सचिव/नगरीय विकास एवं आवासन सचिव ।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
3. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक में प्रकाशनार्थ ।
4. "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर ।
5. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
6. उप निबन्धक, § वित्त एवं लेखा § राजस्व मण्डल, अजमेर ।
7. उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर+- को
8. 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित नगरपालिकाओं में पदस्थापित समस्त सहायक कलेक्टर/तहसीलदार को भिजवाने हेतु प्रेषित है ।
8. रक्षी पत्रावली ।

सहायक विधि प्रांशकार